तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 2094 / जयपुर</u>** **हरचन्द बनाम मूला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ (मुकाम जयपुर)</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री हेमन्त दीक्षित, अभिभाषक प्रार्थी
श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अप्रार्थी

<u>दिनांक : 07 जनवरी, 2021</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 6–3–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली के समक्षा वादी / अप्रार्थी संख्या–1 मूलाा ने प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद दुरूस्ती जमाबन्दी इन्द्राज संवत 2037 से 2056 उक्त वाद अभी वादी की साक्ष्य में लम्बित है किन्तु वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा दिनांक 25–3–2003 को एक प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं मजिस्ट्रेट, कोटपूतली से फौजदारी प्रकरण की पत्रावली तलब किये जाने का पेश किया जो दिनांक 25–3–2003 को ही स्वीकार कर सिविल न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने के आदेश पारित किये किन्तु आज तक उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है एवं दिनांक 25–7–2005 को वादी ने एक द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने संक्षिप्तः आदेश दिनांक 6–3–2006 द्वारा अनुचित एवं अवैध रूप से स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 2094 / जयपुर</u>** **हरचन्द बनाम मूला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 6–3–2006 विधि विधान पत्रावली तथा तथ्यों के विपरीत है और निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण के विवादित बिन्दुओं को सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही एक अनुचित अवैध तथा परवर्स निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने ना तो अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही सही अर्थो में पढ़ा एवं ना ही साक्ष्य अधिनियम की धारा–74, 76,77 को सही अर्थो में समझा एवं ना ही उन पर अपना न्यायिक मस्तिष्क लगाये बिना निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली का निर्णय दिनांक 6–3–2006 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि वादी को अपने वाद को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करते होते हैं। प्रतिवादी को उनका खण्डन करने का अधिकार है और इसके लिये वे भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली का निर्णय विधिसम्मत है। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जो दस्तावेज प्रदर्श किये जाने हैं वे पटवारी की रिपोर्ट व नक्शा मौका है। दोनों ही दस्तावोज सार्वजनिक दस्तावेजों की श्रेणी में आते हैं। वादी को अपना दावा सिद्ध करना है उसके लिये जो भी दस्तावेज आवश्यक होते हैं उन्हें वह प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवादी को इन पर जिरह करने व रिबटल में अपने पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 2094 / जयपुर</u>** **हरचन्द बनाम मूला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार विचारण न्यायालय ने इन दस्तावेजों पर प्रदर्श डालने की अनुमति देकर विधिसम्मत कार्य किया है। रही बात पूर्व के आदेश जिसमें पत्रावली सिविल न्यायाधीश से तलब करने से संबंधित है, को वादी ने विड्रो करने का अनुरोध किया है। यह भी उचित आदेश है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली का निर्णय दिनांक 6–3–2006 पूरी तरह विधिसम्मत, तर्कसंगत व न्यायसंगत है। निगरानी में ऐसे कोई सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे निगरानी स्वीकार की जा सके। 8– अतः निगरानी में कोई सारभूत व कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2006 / 2094 / जयपुर</u>** **हरचन्द बनाम मूला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए